न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 16 / 2020 वाद
दायर दिनांक – 23 / 06 / 2020
निर्णय दिनांक – 18 / 02 / 2021

अनवान

1. रामकन्या पिता नंगजीराम बाहेती पत्नि रामनिवास जाति माहेश्वरी महाजन, निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल निवासी निम्बाहेडा इन्द्राकोलोनी तहसील निम्बाहेडा। वादी

बनाम

1. भूमिधारक तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद प्रतिवादी

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्त

::निर्णय::

वादीयॉ ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरस्ती बाबत् के स्वामित्व आधिपत्य की भूमी आराजी सख्या 202 रकबा 05 बिघा 04 बिस्वा ग्राम वगतपुरा पटवार क्षैत्र खडबामनियॉ, तहसील रेलमगरा में वर्तमान जमाबन्दी सख्या 54 सवत् 2069 से 2072 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। जो भूमी वादीयॉ को अपने पिता नगजीराम पित उदयराम महाजन की मृत्यू उपरान्त विरासत के आधार पर नामान्तरकरण सख्या 162 दिनांक 20.05.2011 के आधार पर प्राप्त हुई जिसमें वक्त नामान्तरकरण वादीयॉ का नाम गलती से रेकार्डड नाम रामकन्या दर्ज नहीं कर घर में पुकाराजाने वाला बोलता नाम रामदुलारी नाम से नामान्तरणकरण दर्ज कर लिया गया जबकि वास्तविक रेकार्डड नाम वादीयॉ का रामकन्या होकर इसी नाम से वादीयॉ के सभी दस्तावेज मौजुद है । प्रमाण स्वरूप वर्तमान जमाबन्दी एंव नामान्तरणकरण सख्या 162 तथा तत्कालीन जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। वादीयॉ अपने मृतक पिता नगजीराम पिता उदयराम महाजन निवासी पछमता की एक मात्र वैध वारिस के रूप में पुत्री है जो वर्तमान में विवाहिता स्त्री होकर उसके पति का नाम रामनिवास जी होकर अभी निम्बाहेडा जिला चितौडगढ में अपने ससुराल में निवासरत वादीयॉ को घर में न्यार से रामदुलारी नाम से बोला एवं पुकारा जाता रहा है। जिससे वादीयॉ के पिता की मृत्यु उपरान्त उनकी विरासत वादीयॉ के बोलते हुए नाम रामदुलारी के नाम से नामान्तरणकरण दर्ज कर लिया गया जबकि वादीयॉ

सहायक कलक्टर

के समस्त रेकार्डड दस्तावेज उसके रामकन्या नाम से ही दर्ज होकर वर्तमान में वादीयॉ को रामकन्या नाम से ही जाना एवं पहचाना जाता है जिससे उक्त भूमी को लेकर विकास आदि अन्य कई कार्यो के लिये राजस्व रेकार्ड एवं वादीयॉ के निजी दस्तावेजो में उसेके नाम में भिन्नता होने के कारण वादीयॉ को आये दिन कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडता है। जिसके लिये सही व दुरूस्त इन्द्राज करने के लिये वादीयॉ ने तहसीलदार महोदय, रेलमगरा के समक्ष आवेदन किया तो उनके द्वारा उक्त आशय का सही इन्द्राज दर्ज कराने के लिये इन्कार कर देने से वादीयॉ अब अपने नाम की घोषणा उसके राजस्व रेकार्ड में रामदुलारी पिता नगजीराम महाजन की जगह रामकन्या पिता नगजीराम पत्नि रामनिवास महाजन दर्ज कराने की घोषणा कराना चाहती है जिसके लिये वादीयॉ की ओर से उक्त वादपत्र उसके राजस्व रेकार्ड में सही नाम के इन्द्राज की घोषणा कराये जाने बाबत् प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीयॉ का उक्त नाम रामदुलारी नहीं होकर रामकन्या ही है जो रेकाडेड होकर इसी नाम से उसके समस्त दस्तावेज बने हुए है उस सम्बन्ध में वादीयॉ का निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आधारकार्ड, राशनकार्ड , भामाशाहकार्ड, जनआधारकार्ड, पेनकार्ड एवं वादीयॉ के बैंक खाते की प्रतियॉ तथा ग्राम पंचायत पछमता द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे भी वादीयॉ के नाम में उक्त आशय के संशोधन की आवश्यकता अति आवश्यक हो जाती है। अन्यथा वादीयॉ को कई प्रकार की परेशानियों से गुजरना पडेगा तथा उक्त राजस्व भूमी के उपयोग–उपभोग सम्बन्धी अन्य अधिकार प्रभावित होगें। इस हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है। वादीयॉ ने एक माह पुर्व उक्त आशय का सही इन्द्राज करने के लिये तहसीलदार महोदय, रेलमगरा को निवेदन किया किन्तु उनके द्वारा इंकार कर दिये जाने से वादीयॉ का वाद हेतुक एक माह पुर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। उक्त आशय के सही इन्दाज किये जाने बाबत् प्रतिवादी सख्या 02 को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व सूचनापत्र धारा 80 जा.दी. का दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार को बिना सूचना पत्र प्रेषित किये धारा 80 (2) जा.दी. का अनुमति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीयॉ का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीयॉ के पक्ष में इस आशय की घोषणात्मक डिकी जारी फरमायी जावें कि ग्राम वगतपुरा पटवार क्षैत्र खडबामनियॉ तहसील रेलमगरा की कृषि भूमी आराजी सख्या 202 रकबा 05 बिघा 04 बिस्वा के राजस्व रिकार्ड में अंकित खोतदार महाजन रामदुलारी पिता नगजीराम की जगह दुरूस्त कर उसका सही नाम रामकन्या पिता नगजीराम नाम दर्ज कर उक्त आशय की घोषणा फरमायी जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 रेकार्ड अनुसार सही है, कलम संख्या 02 व 03 वादी स्वयं सिद्व करे तथा कलम

सहायक कलेक्टर

संख्या 04, 05, 06, 07 कानूनी है। तथा वादी अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्लयू 1 एवं दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी एवं निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाहकार्ड, जनआधारकार्ड, पेनकार्ड एवं वादीयॉ के बैंक खाते की प्रतिलिपि व ग्राम पंचायत पछमता द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी जिसमें वादीया का नाम रामकन्या अंकित है। वादीया दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया ग्राम वगतपुरा पटवार क्षैत्र खडबामनियॉ, तहसील रेलमगरा जिसके आराजी सख्या 202 रकबा 05 बिघा 04 बिस्वा में अंकित वादी को महाजन रामदुलारी पिता नगजीराम के स्थान रामदुलारी उर्फ रामकन्या पिता नगजीराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इसी अनुरूप अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा